प्रेषकः

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः सामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/11592/2024–25 दिनांकः 31.03 2025

विषयः– 'स्कूल चलो अभियान 2025' दिनांकः 01.04.2025 से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संदर्भ सं0 68-5099/105/2024- 1/919155/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 में ''स्कूल चलो अभियान'' के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ''शैक्षिक सत्र 2025–26 में स्कूल चलो अभियान एवं संचारी रोग नियत्रंण अभियान का शुभारम्भ **दिनांक 01.04.2025** को **पूर्वाह्न 11:40 बजे से** माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा **बरेली कालेज मैदान, जनपद बरेली** से किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रम का शुभारम्भ, मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के तत्काल बाद मा0 प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जनपद के मा0 सांसद/मा0 विधायकगण तथा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में कराना सुनिश्चित किया जाए। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। जनपदों में कार्यक्रम के आयोजन–स्थल के साथ–साथ अधिकाधिक स्थानों यथा– डायट, ब्लॉक संसाधन केन्द्र एव विद्यालयों पर सजीव प्रसारण दिखाये जाने हेतु समुचित व्यवस्था करायी जाए।

कृपया अपने जनपद में उक्त ''स्कूल चलो अभियान'' एवं ''संचारी रोग नियंत्रण अभियान'' कार्यक्रम का शुभारम्भ भव्य एवं प्रभावी रूप में आयोजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकनः सामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/ /2024–25 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्राचार्य, डायट, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

प्रेषकः

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः सामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/ /2024–25 दिनांकः 31.3 2025

विषयः– 'स्कूल चलो अभियान 2025' दिनांकः 01.04.2025 से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संदर्भ सं0 68-5099/105/2024- 1/919155/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 में ''स्कूल चलो अभियान'' के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ''शैक्षिक सत्र 2025–26 में स्कूल चलो अभियान एवं संचारी रोग नियत्रंण अभियान का शुभारम्भ **दिनांक 01.04.2025** को **पूर्वाह्न 11:40 बजे से** माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा **बरेली कालेज मैदान, जनपद बरेली** से किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रम का शुभारम्भ, मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के तत्काल बाद मा0 प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जनपद के मा0 सांसद/मा0 विधायकगण तथा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में कराना सुनिश्चित किया जाए। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। जनपदों में कार्यक्रम के आयोजन–स्थल के साथ–साथ अधिकाधिक स्थानों यथा– डायट, ब्लॉक संसाधन केन्द्र एव विद्यालयों पर सजीव प्रसारण दिखाये जाने हेतु समुचित व्यवस्था करायी जाए।

कृपया अपने जनपद में उक्त ''स्कूल चलो अभियान'' एवं ''संचारी रोग नियंत्रण अभियान'' कार्यक्रम का शुभारम्भ भव्य एवं प्रभावी रूप में आयोजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकनः सामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/11592/2024–25 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्राचार्य, डायट, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ –226007
वेब–साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 781128

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

निपुण भारत

महत्वपूर्ण

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः सामु0सह0 / स्कूल चलो अभियान / 11433 / 2024–25 / लखनऊ दिनांकः 27 मार्च, 2025

विषयः **शैक्षिक सत्र 2025–26 में ''स्कूल चलो अभियान'' के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संदर्भ सं0 68-5099/105/2024- 1/919155/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 में ''स्कूल चलो अभियान'' के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए है।

शासनादेश के आलोक में **शैक्षिक सत्र 2025–26 में ''स्कूल चलो अभियान'' 02 चरणों में संचालित किया जायेगा।**

प्रथम चरण– दिनांक 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2025 तक।
द्वितीय चरण– ग्रीष्मावकाश के उपरान्त दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई, 2025 तक।

''स्कूल चलो अभियान'' के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ–

- 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से अध्यापकों, बच्चों, जन सामान्य में जागरूकता लाने एवं वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रचार–प्रसार हेतु **समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति** प्रकाशित कराई जाए तथा **प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग** लगाए जाए। **पर्याप्त मात्रा में हैण्डबिल** छपवाये जाए व विद्यालय स्तर पर **वाल राईटिंग** कराये जाने के साथ ही **स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय सिनेमाघर, लोकल चैनल** के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए। जनपद, विकास खण्ड तथा **विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी** आयोजित करायी जाए।
- ''स्कूल चलो अभियान'' में जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अन्य जनपदीय अधिकारी एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों का भी व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाय।
- कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभियान हेतु **'कलेण्डर आफ एक्टीविटीज'** तैयार किया जाये और तदानुसार जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम संचालित किया जाए।
- **सत्र के प्रथम दिवस को विद्यालयों को फूल, पत्तियों, रंगोली, झण्डियों, गुब्बारों आदि से सजाया जाए और विद्यालय आने वाले बच्चों को रोली–चंदन का टीका लगाकर, पुष्प देकर, माला पहनाकर स्वागत किया जाए। उस दिन मध्याह्न भोजन में बच्चों के लिए रूचिकर व्यंजन यथ– हलवा, खीर आदि बनाया जाए।**
- जनपद, विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा छात्रों की नियमित उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा उपस्थिति की स्थिति के विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाए। तदोपरान्त रणनीति एवं, कार्ययोजना बनाते हुए वर्ष 2025–26 में तदनुसार क्रियान्वयन किया जाये।

- ''स्कूल चलो अभियान'' के द्वारा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि तथा नामांकित छात्र–छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए **समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता** (Community & Parental Engagement) सुनिश्चित की जाए।

- विद्यालय स्तर पर 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए **स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों, माँ समूह के सदस्यों, क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों** से सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें सभी बच्चों के नामांकन और उन्हें स्कूल यूनिफार्म में नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए।

- समान्यतः घरेलू कार्यों में संलिप्तता के कारण बालिकाओं में ड्रापआउट की सम्भावना अधिक रहती है। अतः बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवम् उपस्थिति पर विशेष फोकस किया जाए तथा **मीना मंच के बच्चों द्वारा विद्यालय स्तर पर नाटक का मंचन एवं आधा–फुल कॉमिक्स पर आधारित कहानियों का वाचन व चर्चा करायी जाए।**

- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति का छात्र–छात्राओं के सीखने के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इस सम्बन्ध में अभिभावकों से बातचीत की जाए एवं उन्हें बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाय।

- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जाए तथा शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु वर्ष 2025–26 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि **6 से 14 आयुवर्ग का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे।**
- **आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन/नामांकन में मलिन बस्तियों, झुग्गी–झोपडियों, रेलवे स्टेशन के पास, ओवरब्रिज के नीचे अस्थायी आवास में रहने वाले परिवारों, परम्परागत कुटीर एवं लघु/सूक्ष्म उद्यमों में तथा ईंट–भठ्ठों पर कार्यरत परिवारों तथा जनजाति एवं घुमन्तु समुदायों पर विशेष फोकस किया जाए।**

- **मण्डल, जनपद तथा विकास खण्ड स्तरीय सभी शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से स्वयं गाँवों का भ्रमण करेंगे, जनसमुदाय तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेंगे।**

- विकास खण्ड स्तर पर परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट/के0जी0बी0 विद्यालयों के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित विगत तीन वर्षों के कक्षावार छात्र नामांकन की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा छात्र नामांकन को बढ़ाने के लिए विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसका संकलन विद्यालयों, विकास खण्डों तथा जनपद स्तर पर किया जाए जिससे इस लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा सके।
- विकास खण्ड स्तर पर ए0आर0पी0 को विकास खण्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों का नोडल सह–समन्वयक बनाया जाए तथा उनके लिए नामांकन एवं उपस्थिति हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाए। इस लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के आधार पर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए।
- विद्यालय, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर जिन कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों, शिक्षकों की उपस्थिति हो उनमें **कक्षावार व विषयवार शिक्षण सम्बन्धी परिणाम (Learning Outcomes) के बारे में विस्तृत चर्चा** की जाए।

- विद्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों के समक्ष विद्यालय स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया जाए।
- इस अभियान के फलस्वरूप होने वाले नामांकन में वृद्धि को विद्यालय की पंजिका में दर्ज किया जाए तथा पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए। साथ ही नामांकन में हुयी वृद्धि को यू–डायस एवम् प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्यतः अंकित किया जाए। आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाए।
- इस अभियान के संचालन का दायित्व जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जायेगा।
- जनपद स्तर एवम् विकास खण्ड स्तरों पर ''स्कूल चलो अभियान'' के व्यापक प्रचार–प्रसार की तैयारियाँ 31 मार्च, 2025 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए।

प्रदेश में ''स्कूल चलो अभियान'' के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक जनपद को समग्र शिक्षा से रू0 2.0 लाख की धनराशि शासन द्वारा अनुमन्य की गयी है। शीघ्र ही अनुमन्य धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को जारी की जायेगी।

शासनादेश के आलोक में उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ''स्कूल चलो अभियान'' का संचालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः शासनादेश की प्रति।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृष्ठांकन सं0ःसामु0सह0/स्कूल चलो अभियान/ /2024–25, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक)/नोडल अधिकारी (स्कूल चलो अभियान), उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. प्राचार्य, डायट, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
7. शिक्षा विशेषज्ञ एवं एस0बी0सी0 विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ0प्र0।
8. जिला समन्वयक सामु0सह0/प्रभारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा मे,

1. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0 ।
2. समस्त जिलाधिकारी , उ0प्र0 ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषयः **शैक्षिक सत्र 2025-26 में "स्कूल चलो अभियान" के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि विगत वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि कर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में 'स्कूल चलो अभियान' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

2. शैक्षिक सत्र 2025-26 में अभिभावकों एवम् बच्चों को प्रेरित कर शत-प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति तथा शिक्षकों को कक्षा-शिक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी सामग्रियों का उपयोग कर बेहतर शैक्षिक वातावरण के सृजन हेतु अभिप्रेरित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ 'स्कूल चलो अभियान' संचालित किये जाने हेतु शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) शैक्षिक सत्र 2025-26 में यह अभियान 02 चरणों में संचालित किया जायेगा।

'**प्रथम चरण**-दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक तथा
'**द्वितीय चरण**-ग्रीष्मावकाश के उपरान्त दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 15 जुलाई, 2025 तक ।"

(2) 'स्कूल चलो अभियान' के लिए निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(3) <u>विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ-</u>

- 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से अध्यापकों, बच्चों एवं जन-सामान्य में जागरुकता लाने तथा शैक्षिक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जायें तथा प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगायी जायें। पर्याप्त मात्रा में हैण्डबिल छपवाये जायें व विद्यालय स्तर पर वाल-राइटिंग कराये जाने के साथ ही स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय सिनेमाघर, लोकल चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। जनपद, विकास खण्ड तथा विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी आयोजित करायी जाए।
- 'स्कूल चलो अभियान' में जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी,

जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अन्य जनपदीय अधिकारी एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों का भी व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाय ।

- कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभियान हेतु 'कलेण्डर आफ एक्टीविटीज' तैयार किया जाये और तदनुसार जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम संचालित किया जाए ।
- सत्र के प्रथम दिवस को विद्यालयों को फूल, पत्तियों, रंगोली, झण्डियों, गुब्बारों आदि से सजाया जाए और विद्यालय आने वाले बच्चों को रोली और चंदन का टीका लगाकर, पुष्प देकर, माला पहनाकर स्वागत किया जाए। उस दिन मध्याह्न भोजन में बच्चों के लिए रुचिकर व्यंजन यथा- हलवा, खीर आदि बनाया जाए ।
- जनपद, विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा छात्रों की नियमित उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों, छात्र नामांकन तथा उपस्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए ।
- 'स्कूल चलो अभियान' के द्वारा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि तथा नामांकित छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagement) सुनिश्चित की जाए।
- विद्यालय स्तर पर 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं के अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों, 'माँ समूह' के सदस्यों, क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए । विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें सभी बच्चों के नामांकन और उन्हें स्कूल यूनिफार्म में नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए ।
- बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवम् उपस्थिति पर विशेष फोकस किया जाए तथा मीना मंच के बच्चों द्वारा विद्यालय स्तर पर नाटक का मंचन एवं आधा-फुल कॉमिक्स पर आधारित कहानियों का वाचन व चर्चा करायी जाए।
- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति की छात्र-छात्राओं के सीखने के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सम्बन्ध में अभिभावकों से बातचीत की जाए एवं उन्हें बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाय ।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जाए तथा शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु वर्ष 2025-26 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि 6 से 14 आयुवर्ग का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन / नामांकन में मलिन बस्तियों, झुग्गी-

झोपडियों, रेलवे स्टेशन के पास, ओवरब्रिज के नीचे अस्थायी आवास में रहने वाले परिवारों, परम्परागत कुटीर एवं लघु / सूक्ष्म उद्यमों तथा ईंट-भट्ठों पर कार्यरत परिवारों तथा जनजाति एवं घुमन्तू समुदायों पर विशेष फोकस किया जाए। मण्डल, जनपद तथा विकास खण्ड स्तरीय सभी शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से स्वयं गाँवों का भ्रमण करेंगे और जन-समुदाय तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेंगे ।

- विकास खण्ड स्तर पर परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट/ कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित विगत तीन वर्षों के कक्षावार छात्र-नामांकन की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तथा छात्र-नामांकन को बढ़ाने के लिए विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसका संकलन विद्यालयों, विकास खण्डों तथा जनपद स्तर पर किया जाए जिससे इस लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा सके ।

- विकास खण्ड स्तर पर ए०आर०पी० को विकास खण्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों का नोडल सह-समन्वयक बनाया जाए तथा उनके लिए नामांकन एवं उपस्थिति हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाए। इस लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के आधार पर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए ।

- विद्यालय, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर जिन कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों, शिक्षकों की उपस्थिति हो उनमें कक्षावार व विषयवार शिक्षण सम्बन्धी परिणाम (Learning outcomes) के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए ।

- विद्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों के समक्ष विद्यालय स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया जाए ।

3. इस अभियान के फलस्वरूप होने वाले नामांकन में वृद्धि को विद्यालय की पंजिका में दर्ज किया जाए तथा पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए और साथ ही साथ नामांकन में हुयी वृद्धि को यू-डायस एवम् प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। इस संबंध में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाए।

4. इस अभियान के संचालन का दायित्व जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जायेगा।

5. जनपद स्तर एवम् विकास खण्ड स्तरों पर 'स्कूल चलो अभियान' के व्यापक प्रचार-प्रसार की तैयारियाँ 31 मार्च, 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जायें।

6. प्रदेश में 'स्कूल चलो अभियान' के सुचारु संचालन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ०प्र० द्वारा मीडिया एवं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मद से प्रत्येक जनपद को रु0 2.0 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की धनराशि आवंटित की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 'स्कूल चलो अभियान' के सफल संचालन के संबंध में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Deepak Kumar
Date: 27-03-2025 11:24:49

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) / नोडल अधिकारी (स्कूल चलो अभियान), उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. प्राचार्य, डायट समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
9. समसृत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद, उ0प्र0।
10. शिक्षा विशेषज्ञ एवं एस0बी0सी0विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक सामु0सह0 /प्रभारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Signed by
Anand Kumar Singh
Date: 27-03-2025 12:27:28

(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।